"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2018—आश्विन 13, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनोद कुमार लिल्हारे आत्मज श्री जमुना प्रसाद, उम्र 20 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-ग्राम पीटेपानी, थाना बोरतलाव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम फागुराम था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम "विनोद कुमार लिल्हारे" रख लिया हूं तथा मेरा यह नया नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विनोद कुमार लिल्हारे आ. श्री जमुना प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
फागुराम पिता- श्री जमुना प्रसाद निवासी-ग्राम-पीटेपानी, थाना-बोरतलाव, तहसील-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	विनोद कुमार लिल्हारे पिता- श्री जमुना प्रसाद निवासी-ग्राम-पीटेपानी, थाना-बोरतलाव, तहसील-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्य करनानी आत्मज श्री पवन करनानी, निवासी-म. नं. डी-191, सेक्टर-5, देवेन्द्र नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम RISHAV KARNANY था जो कि मेरे कक्षा बाहरवीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम "लक्ष्य करनानी" रख लिया हूं. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य में दर्ज है. मैं अपने नये नाम "लक्ष्य करनानी" को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे लक्ष्य करनानी (Lakshya Karnani) आ. श्री पवन करनानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
RISHAV KARNANY पिता-श्री पवन करनानी निवासी-म. नं. डी-191, सेक्टर-5, देवेन्द्र नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	LAKSHYA KARNANI पिता-श्री पवन करनानी निवासी-म. नं. डी-191, सेक्टर-5, देवेन्द्र नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश राठी आत्मज स्व. हरीश राठी, उम्र 45 वर्ष, निवासी-रिद्धि सिद्धि कालोनी, फेस-1, म. नं.-61, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम राजेश राठी है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम राजेश महेश्वरी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने सही नाम "राजेश राठी" को मेरे पेनकार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजेश राठी आ. स्व. हरीश राठी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेश महेश्वरी पिता-स्व. हरीश राठी निवासी-रिद्धि सिद्धि कालोनी, फेस-1, म. नं.-61, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	राजेश राठी पिता-स्व. हरीश राठी निवासी-रिद्धि सिद्धि कालोनी, फेस-1, म. नं.-61, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रीमा रानी सिंह आत्मजा श्रीमती राधा सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी–म. नं.– सी–6/2, एन. एस. पी. सी. एल. टाऊनशिप, रूआबांधा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं एन. एस. पी. सी. एल. पुरैना भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे पुत्र द्विज पाटिल के जन्म प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड एवं उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों मेरे सर्विस रिकार्ड में उसका नाम द्विज आर. पाटिल दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम द्विज सिंह (Dwij Singh) रख ली हूं मेरे पुत्र का परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम "द्विज सिंह " को उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय/अर्द्धशासकीय, अभिलेखों/दस्तावेजों व मेरे सर्विस रिकार्ड में जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को द्विज सिंह (Dwij Singh) माता श्रीमती रीमा रानी सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
द्विज पाटिल (Dwij Patil) द्विज आर. पाटिल (Dwij R. Patil) माता–श्रीमती रीमा रानी सिंह निवासी–म. नं.– सी–6/2, एन. एस. पी. सी. एल., टाऊनशिप, रूआबांधा, भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)	द्विज सिंह (Dwij Singh) माता–श्रीमती रीमा रानी सिंह निवासी–म. नं.– सी–6/2, एन. एस. पी. सी. एल., टाऊनशिप, रूआबांधा, भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सीमा ठाकुर ध. प. श्री रोहितास कुमार ठाकुर, उम्र 49 वर्ष निवासी–क्वा नं.–8–बी, सड़क नं.–34, सेक्टर–04, वार्ड नं.–43, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में तथा मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में मेरा घरेलू नाम श्रीमती फटकन बाई दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सीमा ठाकुर रख ली हूं. मेरा यह नया नाम मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड व मेरे अन्य आवश्यक शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे राजस्व अभिलेख व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नया नाम "श्रीमती सीमा ठाकुर " जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सीमा ठाकुर ध. प. श्री रोहितास कुमार ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती फटकन बाई पति–श्री रोहितास कुमार ठाकुर निवासी– क्वा नं.–8–बी, सड़क नं.–34, सेक्टर–04, वार्ड नं.–43, भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती सीमा ठाकुर पति–श्री रोहितास कुमार ठाकुर निवासी– क्वा नं.–8–बी, सड़क नं.–34, सेक्टर–04, वार्ड नं.–43, भिलाई, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्रमांक/परि./2018/1599.—वस्तुत: जगदम्बा साख सहकारी समिति मर्या. रतनपुर विकास खंड कोटा जिला बिलासपुर, पं. क्र. 197 दिनांक 04-02-2005 द्वारा विगत 04 वर्षों से अंकेक्षण हेतु अभिलेख एवं वित्तीय पत्रक उपलब्ध नहीं कराने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंके./2018/1271 दिनांक 02-07-2018 को संस्था प्रबंधक को उपस्थित होने हेतु रजिस्ट्री पत्र के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु लिफाफा लेने से इंकार करने संबंधी टीप कर वापस आने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1408 बिलासपुर दिनांक 19-07-2018 द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र संस्था प्रबंधक को रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से जारी किया गया था, किन्तु पोस्टमेन के द्वारा लेने से इंकार करने संबंधी टीप कर पुन: लिफाफा वापस किया गया, तथा संस्था द्वारा उक्त संबंध में कोई जवाब भी पृथक से प्रस्तुत नहीं किया गया. इस प्रकार संस्था प्रबंधक द्वारा 02 बार पत्र लेने से इंकार किया गया.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये जगदम्बा साख सहकारी समिति मर्या. रतनपुर विकास खंड कोटा जिला बिलासपुर, पं. क्र. 197 दिनांक 04-02-2005 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एल. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2222/उपंरा/परि./2018.—संस्कार बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सुकुलदैहान प. क्र. 617 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये संस्कार बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सुकुलदैहान प. क्र. 617 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) के अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2227/उपंरा/परि./2018.—जय भवानी सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प. क्र. 393 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय भवानी सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प. क्र. 393 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ?

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2244/उपंरा/परि./2018.—माँ अन्नपूर्णा श्रमिक सहकारी समिति मर्या. पैलीमेटा प. क्र. 540 वि. ख. छुईखदान जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ अन्नपूर्णा श्रमिक सहकारी समिति मर्या. पैलीमेटा प. क्र. 540 वि. ख. छुईखदान जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चत करें ?

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2246/उपंरा/परि./2018.— जय माँ दन्तेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. खरकाटोला प. क्र. 420 वि. ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय माँ दन्तेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. खरकाटोला प. क्र. 420 वि. ख. डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) के अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.